

पत्रांक 1024/03 PMGSY
दिनांक 31/08/2024
सेवा में,
**प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, हल्द्वानी।**
विषय :-
जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूठ-डांडामल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई-16.000 कि०मी०) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.140 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० - FP/UK/ROAD/41672/2019)
सन्दर्भ :-
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र सं० 8वीं/यू.सी.पी. /06/16/2020/एफ.सी., दिनांक 09.08.2024
महोदय,
उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में आख्या निम्नानुसार है -

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.10.2020 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गई, जिसका अवलोकन किया गया है एवं प्रस्तावित मार्ग एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्मित मार्ग की के०एम०एल० फाइल की जांच के बाद पाया गया कि दोनों संरेखण कहीं भी एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, यह सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	उपरोक्त वन भूमि प्रकरण दिनांक 21.08.2019 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया, जिसके सापेक्ष वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28.10.2020 को प्राप्त हुई। मार्ग में संरेखण परिवर्तन के कारण उपरोक्त प्रकरण पर पुनः आर०ई०सी० बैठक दिनांक 30.05.2023 को सम्पन्न हुई तथा सैद्धांतिक स्वीकृति Revoke हुई तथा प्रकरण में संशोधन हुए। चूंकि परिवेश पोर्टल, पार्ट-1 एवं पार्ट-2 प्रयोक्ता अभिकरण हेतु Lock था, इसलिए Final Approved संरेखण की kml File पोर्टल पर Upload करना सम्भव नहीं हुआ, वर्तमान तक भी पोर्टल में पुरानी kml File ही प्रदर्शित हो रही है जो दिनांक 21.08.2019 को ऑनलाइन की गई थी। दिनांक 21.08.2019 से द्वितीय आर०ई०सी० दिनांक 30.05.2023 के मध्य kml File में हुए परिवर्तन परिवेश पोर्टल पर kml File में लॉक होने के कारण संशोधित नहीं हो पाये, जिस कारण परिवेश पोर्टल पर परीक्षण के दौरान kml File व संरेखण में भिन्नता प्रदर्शित हुई। उपरोक्त मार्ग की वास्तविक kml File प्रस्ताव के साथ मय सी०डी० दिनांक 30.05.2023 की आर०ई०सी० बैठक हेतु पूर्व में प्रेषित की गयी है तथा उपरोक्त सी०डी० में प्रदर्शित kml File अनुसार ही आर०ई०सी० बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी, मोटर मार्ग का निर्माण कार्य निर्धारित संरेखण पर एवं छपान, पातन अनुसार ही किया गया है। वास्तविक kml File पुनः संलग्न कर अवलोकन हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
भवदीय
**अधिशासी अभियन्ता
सि०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०, चम्पावत।**
पत्रांक /
दिनांक / /2024
प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
**अधिशासी अभियन्ता
सि०ख०, पी०एम०जी०एस०वाई०, चम्पावत।**



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 1371 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 28 / 11 / 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

विषय :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूठ-डांडामल्ला मोटर मार्ग, लम्बाई 16.000 कि०मी० के निर्माण हेतु 9.14 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (विधिवत स्वीकृति हेतु)

- सन्दर्भ :-
- 1 - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१६/२०२०/एफ०सी०/१६७४, दिनांक 28.10.2020
 - 2 - Minutes of 78 th Meeting of the Regional Empowered Committee (REC) held on 30-05-2023 vide Letter No. Ro-DDN/REC/1-2014/VOL-6/333, Dated - 09-06-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१६/२०२०/एफ०सी०/१६७४, दिनांक 28.10.2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत द्वारा अपने पत्र 1026/०३ पी०एम०जी०एस०वाई० दिनांक 23-09-2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण - क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.28 हे० अवनत वन भूमि डुंगराबांकू क०सं० 21 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att.no.1/Pn.5 & Att.no.2/Pn.6)

	पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।															
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण , सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान सामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्रांक संख्या 1173/12-1 हल्द्वानी, दिनांक 23.11.2020 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित दर रु0 337184.00 मात्र प्रति हे0 की दर से कुल धनराशि रु0 6163724.00 की मांग के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। (Att.no.3/Pn.7 to 8)														
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या - 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.140 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को जमा की जा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न कर है। (Att.no.3/Pn.7 to 8)														
(ख)		<table><tr><th rowspan="2">फेज</th><th rowspan="2">प्रस्ताव का नाम</th><th rowspan="2">जनपद</th><th colspan="2">देय धनराशि</th><th rowspan="2">योग</th></tr><tr><th>एन.पी. वी.</th><th>प्रतिपूरक वनीकरण</th></tr><tr><td>XIX</td><td>टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग</td><td>चम्पावत</td><td>7116060</td><td>6163724</td><td>13279784</td></tr></table>	फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि		योग	एन.पी. वी.	प्रतिपूरक वनीकरण	XIX	टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग	चम्पावत	7116060	6163724	13279784
फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद				देय धनराशि			योग							
			एन.पी. वी.	प्रतिपूरक वनीकरण												
XIX	टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग	चम्पावत	7116060	6163724	13279784											
		प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att.no.4/Pn.11)														
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 555 Trees and 272 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा वृक्षों के न्यूनतम पातन का प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att.no.5/Pn.12)														

7	State Government may submit the detail of trees (Including Number, species, girth etc.) present in 5 ha. CA area that appears to be falling in VDF. If the area not found suitable then another 5 ha. area may be selected and details of the area may be submitted to this Office.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि The 5 Ha. area which appears to be falling in VDF is not actually in VDF at site as the number of trees falling in the area is less, hence the area is totally suitable for CA land. The detail of trees is Attached. (Att.no.6/Pn.13)
8	It is seen that 12 ha. area of CA is in MDF. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08-11-2017 may be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि Required certificate by D.F.O Champawat is attached. (Att.no.7/Pn.14)
9	State Government may upload the NPV Calculation sheet.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि The NPV calculation sheet has already been uploaded to the web portal of forest cases of Form A, Part I before the technical approval was issued.
10	Details of 842 trees including 15 of NFL uploaded. State Government may upload fill the details of trees Falling in Forest area only.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि Details of trees Falling in Forest area only is attached. (Att.no.8/Pn.15 to 16)
11	The State Government may review the area selected for muck disposal in forest land and selected non-forest land or less dense area for this purpose.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि The site has been reviewed and the area which was covered with the vegetation of small grass and bushes only has been selected as the muck disposal areas.
12	The State Government may submit the list of trees falling in muck disposal area and ensure that no tree felling will be done in this area.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि As mentioned in the above point none trees will be cut or fallen in the muck disposal area.
13	State Government is required to submit the eco-restoration/ rehabilitation plan for muck dumping area.	मगडिस्पोजल एरिया में शतानुसार 1.0 है0 वन क्षेत्र में तथा 1.0 है0 सिविल क्षेत्र में वृक्षारोपण की परियोजना संलग्न है। (संलग्न-31)
14	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि एन0पी0वी0 व प्रतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि Strip Plantation हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att.no.9/Pn.17)

16	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att.no.10/Pn.18 to 24)
18	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, व वैकल्पिक ईंधन हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att.no.11/Pn.25)
23	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
24	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
26	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा तथा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
28	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी।
29	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
30	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कियदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ली जायेगी।
31	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक 30.05.2023 को गठित 78 वीं Regional Empowered Committee (REC) द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या निम्नवत है -

क्र०सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	Though partial compliance for damage and uprooting of 37 trees has been made by charging fine on the Forest Corporation for Rs. 858794/-, necessary action shall be taken against the Forest Corporation and the User Agency for damage and uprooting of 37 trees under the provisions of IFA, 1927.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि Under the Provisions of IFA, 1927 necessary action was taken against the user agency in which the contractor of User Agency was found guilty and had been charged a compensation of Rs. 150000.00. In addition to this the User Agency had been charged a Penal NPV of Rs. 34308.00 which deposited by user agency तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम हल्द्वानी को Rs. 858794.00 की पी०डी० अधिरोपित की गई थी, जिसे वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के

	पत्रांक 445/9-1 दिनांक 22-09-2023 द्वारा वन निगम के विरुद्ध पी0डी0 रू0 858794.00 मात्र को निरस्त कर दिया गया है। (संलग्न:- ब- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्र सं0 445/9-1 दिनांक 22-09-2023 की छायाप्रति) (Att.no.12/Pn.26)
--	---

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में।

1. Attachment No 13 Letter of principle approval. (Page No 27 to 29)
2. Attachment No 14 Minutes of 78 th Meeting of the Regional Empowered Committee (REC) held on 30-05-2023 vide Letter No. Ro-DDN/REC/1-2014/VOL-6/333, Dated - 09-06-2023. (Page No 30 to 36)

भवदीय, 
(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को उनके पत्र 1026/03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 23-09-2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

0/C



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

(संलग्न-क)

G20

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nlc.in.

पत्रांक

445 / 9-1

हल्द्वानी, दिनांक,

शितम्बर,

22 2023.

मध्यस्थता (Arbitration) अपील निस्तारण आदेश

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम पूर्वी हल्द्वानी द्वारा पत्र संख्या 649/पी0डी /विकास कार्य लौट सं0 39 एवं 40/2020-21 दिनांक 04.07.2023 एवं पूर्व में विभिन्न पत्रों से हल्द्वानी वन प्रभाग के डांडा राजि के देवता बीट कक्ष संख्या-10 के अन्तर्गत अवैध रूप से मुछान किये गये वृक्षों हेतु अधिरोपित पी0डी0 रू0 8,58,794.00 मात्र के निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु दिनांक 14.08.2023 को वृत्त कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग एवं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, पूर्वी के साथ मध्यस्थता बैठक की गयी।

उक्त प्रकरण हल्द्वानी वन प्रभाग के डांडा रेंज के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग का है। इस हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 28.10.2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। मार्ग निर्माण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग के पत्र संख्या 2106/9-1(3) दिनांक 27.02.2021 द्वारा लौट संख्या 39 व 40/2020-21 पूर्वी हल्द्वानी लौगिंग प्रभाग को आवंटित की गयी। उक्त मार्ग हेतु प्रयोक्ता अभिकरण पी0एम0जी0एस0वाई0 बिना पूर्व स्वीकृति के मार्ग निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। पत्रावली में संधारित अभिलेख के अनुसार प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक पूर्वी हल्द्वानी के पत्र दिनांक 26.07.2021 से प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग को पी0एम0जी0एस0वाई0 टनकपुर द्वारा उक्त स्वीकृत मार्ग में निर्धारित समरेखण से हटकर सड़क कटान किये जाने से अवगत कराया गया है। पत्रावली में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, पूर्वी हल्द्वानी के पत्र दिनांक 06.09.2021 में यह उल्लेख है कि निगम के सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी द्वारा वन क्षेत्राधिकारी डांडा को अवगत कराने एवं दिनांक 27.07.2021 को संयुक्त निरीक्षण में कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा समरेखण मार्ग के समानान्तर पृथक सड़क निर्माण करने से जेसीबी द्वारा 37 वृक्ष उखाड़े गये। इन वृक्षों में 21 वृक्ष खाई में गिरने की स्थिति में थे जिन्हें वन सम्पदा की सुरक्षा एवं राजकीय क्षति के दृष्टिगत मुछान कर प्रकाष्ठ को सड़क के किनारे रखा गया। प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.07.2021 से 21 मुछान किये गये वृक्षों का प्रकाष्ठ एवं मौके पर शेष उखड़े 16 वृक्षों को वन विभाग की अभिरक्षा में लेने हेतु निवेदन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 29.07.2021 से उक्त 21 वृक्षों के मुछान किये जाने पर रू0 6,67,588.00 मात्र की पी0डी0 अधिरोपित की गयी। पुनः पत्र दिनांक 18.08.2021 से उक्त पी0डी0 को संशोधित करते हुए 8,58,794.00 मात्र की पी0डी0 निर्गत की गयी। क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ क्षेत्र द्वारा पत्र दिनांक 08.09.2021 एवं दिनांक 18.08.2022 से प्रभागीय वनाधिकारी को अवगत कराया गया कि जिन वृक्षों की मुछान हेतु वन विकास निगम पर पी0डी0 आरोपित की जा रही है, उन्हीं वृक्षों को अवैध रूप से जे0सी0बी0 मशीन से उखाड़ने पर पी0एम0जी0एस0वाई0 टनकपुर को आरोपित करते हुए वन अपराध दर्ज किया गया है। इस प्रकार एक ही अपराध हेतु दो अलग संस्थाओं को आरोपित करना एवं दण्डित करने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होने पर निर्गत पी0डी0 को अस्वीकार किया गया। दिनांक 14.08.2023 को उक्त मध्यस्थता हेतु बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा पुनः उक्त तथ्य को दोहराया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.09.2023 से सूचित किया गया कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मार्ग में बिना अनुमति कार्य प्रारम्भ किया गया एवं निर्धारित समरेखण से हटकर वन भूमि का कटान किया गया, जिसमें बिना छपे 37 वृक्षों को जे0सी0बी0 से उखाड़ दिया गया। इन उखाड़े गये वृक्षों में 21 वृक्षों का वन विकास निगम द्वारा बिना अनुमति मुछान किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता एजेन्सी पी0एम0जी0एस0वाई0 के विरुद्ध उक्त 37 बिना छपे वृक्षों को बिना अनुमति उखाड़ने पर वन अपराध पंजीकृत किया गया एवं प्रयोक्ता एजेन्सी की कार्यदायी संस्था द्वारा रू0 1,50,000.00 मात्र का जुर्माना जमा किया गया है, जिसे दिनांक 20.06.2023 को लेखाबद्ध किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति को उक्त प्रकरण के दृष्टिगत निरस्त किया गया एवं कार्यवाही उपरान्त पुनः पत्र दिनांक 09.06.2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति को बहाल किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण के अन्तर्गत टकनागूँठ-डांडागल्ला राड़क निर्माण के अन्तर्गत कार्यवाही संस्था द्वारा बिना अनुमति कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं सगरेखण से हटकर कार्य करते हुए बिना छपे वृक्षों को जे0सी0बी0 से उखाड़ा गया है। प्रयोक्ता एजेन्सी के कार्यवाही संस्था को उक्त अपराध हेतु दण्डित किया जा चुका है एवं भारत सरकार द्वारा उक्त मार्ग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति को निरस्त करने के उपरान्त पुनः प्रदान किया गया है। यद्यपि वन निगम द्वारा भी मुछान से पूर्व अनुमति नहीं ली गयी, तथापि उनके द्वारा जे0सी0बी0 से उखाड़े गये पेड़ों को गहरी खाई में गिरने से बचाते हुए राजस्व हित में मुछान कर सड़क किनारे रखा गया। कार्यवाही संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0 के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के दृष्टिगत ऐसी स्थिति में वन निगम के विरुद्ध पी0डी0 निर्गत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा पत्र दिनांक 06.08.2021 से निर्गत वन निगम के विरुद्ध पी0डी0 रु0 8,58,794.00 मात्र को निरस्त किया जाता है। मुछान किये गये 21 वृक्षों के प्रकाष्ठ एवं उखड़े 16 वृक्षों को वन निगम को आवंटित कर नियमानुसार रायल्टी प्राप्त की जाय।


(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

संख्या 445 / 9-1(3) तददिनांकित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाप्रबन्धक, कुमाऊँ क्षेत्र, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, (कुमाऊँ क्षेत्र) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
4. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी हल्द्वानी।


(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

**PMGSY**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT

Phone - fax 05965-230148

E-Mail: eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक 1026/03 PMGSY

दिनांक 23/08/2023

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वनप्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय :-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूठ-डांडामल्ला मोटर मार्ग, लम्बाई 16.000 कि०मी० के निर्माण हेतु 9.14 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (विधिवत स्वीकृति हेतु)

सन्दर्भ :-

- 1 - भारत सरकार का पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१६/२०२०/एफ०सी०/१६७४, दिनांक २८.१०.२०२०
- 2 - Minutes of 78 th Meeting of the Regional Empowered Committee (REC) held on 30-05-2023 vide Letter No. Ro-DDN/REC/1-2014/VOL-6/333, Dated - 09-06-2023

महोदय,

(अ) - उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि टकनागूठ-डांडामल्ला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.14 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के लिए शासनादेश सं० ०८बी/यू०सी०पी०/०६/१६/२०२०/एफ०सी०/१६७४ दिनांक २८.१०.२०२० में निहित प्राविधानों द्वारा उल्लेखित की गयी शर्तों पर की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण - क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.28 हे० अवनत वन भूमि डुंगराबाकू क०सं० 21 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	शर्तानुसार वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att. no. 1/Pn. 5 & Att no. 2/Pn. 6)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान सामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग, हल्द्वानी के पत्रांक संख्या 1173/12-1 हल्द्वानी, दिनांक 23.11.2020 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित दर रु० 337184.00 मात्र प्रति हे० की दर से कुल धनराशि रु० 6163724.00 की मांग के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। (Att. no. 3/Pn. 7 to 8)
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य इस सम्बन्ध में भारत के मा० सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या - 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी०, दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 -एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.140 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को जमा की जा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न कर है।

फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि		योग
			एन.पी.वी.	प्रतिपूरक वनीकरण	
XIX	टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग	चम्पावत	7116060	6163724	13279784

(Att. no. 3/Pn. 7 to 8)

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att. no. 4/Pn. 11)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 555 Trees and 272 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा वृक्षों के न्यूनतम पातन का प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att. no. 5/Pn. 12)
7	State Government may submit the detail of trees (Including Number, species, girth etc.) present in 5 ha. CA area that appears to be falling in VDF. If the area not found suitable then another 5 ha. area may be selected and details of the area may be submitted to this Office. The 5 Ha. area which appears to be falling in VDF is not actually in VDF at site as the number of trees falling in the area is less, hence the area is totally suitable for CA land. The detail of trees is Attached. (Att. no. 6/Pn. 13)
8	It is seen that 12 ha. area of CA is in MDF. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08-11-2017 may be submitted. Required certificate by D.F.O Champawat is attached. (Att. no. 7/Pn. 14)
9	State Government may upload the NPV Calculation sheet. The NPV calculation sheet has already been uploaded to the web portal of forest cases of Form A, Part I before the technical approval was issued.
10	Details of 842 trees including 15 of NFL uploaded. State Government may upload fill the details of trees Falling in Forest area only. Details of trees Falling in Forest area only is attached. (Att. no. 8/Pn. 15 to 16)
11	The State Government may review the area selected for muck disposal in forest land and selected non-forest land or less dense area for this purpose. The site has been reviewed and the area which was covered with the vegetation of small grass and bushes only has been selected as the muck disposal areas.
12	The State Government may submit the list of trees falling in muck disposal area and ensure that no tree felling will be done in this area. As mentioned in the above point none trees will be cut or fallen in the muck disposal area.
13	State Government is required to submit the eco-restoration/rehabilitation plan for muck dumping area. शर्तानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के स्तर से की जानी है।
14	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे। एन0पी0वी0 व प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। Strip Plantation हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att. no. 9/Pn. 17)
16	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17	एफआरए, 2006 को पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att. no. 10/Pn. 18 to 24)
18	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, व वैकल्पिक ईंधन हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (Att. no. 11/Pn. 25)
23	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
24	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
26	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
27	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा तथा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
28	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी।
29	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तट सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
30	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ली जायेगी।
31	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।	शर्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) - दिनांक 30.05.2023 को गठित 78 वीं Regional Empowered Committee (REC) द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या निम्नवत है -

क्र०सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	Though partial compliance for damage and uprooting of 37 trees has been made by charging fine on the Forest Corporation, necessary action shall be taken against the Forest Corporation and the User Agency for damage and uprooting of 37 trees under the provisions of IFA, 1927.	Under the Provisions of IFA, 1927 necessary action was taken against the user agency in which the contractor of User Agency was found guilty and had been charged a fine of Rs. 150000.00. In addition to this the User Agency had been charged a Penal NPV of Rs. 34308.00 which deposited by user agency. (Att. no. 12 / P.n. 26)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

1. Attachment No. ~~13~~ Letter of principle approval. (Page No. ~~27~~ to ~~29~~...)
2. Attachment No. ~~14~~ Minutes of 78 th Meeting of the Regional Empowered Committee (REC) held on 30-05-2023 vide Letter No. Ro-DDN/REC/1-2014/VOL-6/333, Dated - 09-06-2023. (Page No. ~~30~~ to ~~30~~...)

भवदीय



अधिसासी अभियन्ता

सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।

पत्रांक /

दिनांक / 08 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, सि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/

अधिसासी अभियन्ता

सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत।

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी लोहाघाट
पत्रांक 31 / 12-1 दिनांक 03/08/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।

विषय:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.140 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक संख्या आर 90/12-1 दिनांक 24.7.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि डुंगराबांकू कक्ष सं० 21 में प्रतिपूरक वनीकरण से सम्बन्धित मांगी गयी सूचना निम्नानुसार सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

बिन्दु सं० 3- प्रतिपूरक वनीकरण

क- डुंगराबांकू कक्ष सं० 21 में 18.28 है० अवनत वन भूमि में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा प्रजातियों का एकल वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा।

ख- प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

बिन्दु सं० 8- प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में से 12.00 है० एम०डी०एफ० क्षेत्र में 1000 पौधे प्रति है० के अनुसार वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
लोहाघाट

प्रमाण-पत्र (सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु सं० 3 ख के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत में टकनागूँठ-डांडामल्ला मोटर मार्ग जिसका निर्माण कार्यदायी संस्था, सि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत द्वारा किया जाना है, हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए डुंगराबाकू कक्ष सं० 21 में 18.20 हे० अवन्त वनभूमि चयनित है।

इस सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी,
लोहाघाट।


उपप्रभागीय वनाधिकारी,
लोहाघाट।


प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



निकीनिया वन परिसर, हल्द्वानी (निकीनिया) दूरभाष/फैक्स : 05946-720002, ईमेल dfahld@gmail.com
पत्रांक 1123 / 19-1 हल्द्वानी दिनांक 23/11/2020

सेवा में

प्रदेशीय अभियन्ता,
सिपाई खण्ड (निकीनिया)
धर्मपुर।

विषय

जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडा पल्ला (लम्बाई 18.0 कि0मी0) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.14 हे0 वन भूमि का गैर वाणिज्यिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक - 8बी/यू सी पी/08/18/2020/एफ सी/1674 दिनांक 28.10.2020

सहायक

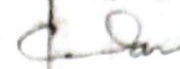
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त सदमित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें उनके द्वारा निहित प्रावधानों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निम्नानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एड-हॉक कैम्पा मद में धनराशि जमा कराने का कष्ट करें -

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त सदमित पत्र के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि 9.14 हे0 के दुगुने क्षेत्र 18.28 हे0 आरक्षित वन क्षेत्र दुगुनाबोक्क कक्षा संख्या 21 में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित दर रुपये 3,37,184.00 (रुपये तीन लाख सत्तीस हजार एक सौ घौरासी) मात्र प्रति हे0 की दर से कुल धनराशि रुपये 61,63,723.52 या रुपये 61,63,724.00 (रुपये इकसठ लाख तिरसठ हजार सात सौ चौबीस) मात्र का भुगतान एड-हॉक कैम्पा मद में करने का कष्ट करें।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त सदमित पत्र के बिन्दु संख्या 5(क) के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.14 हे0 क्षेत्र के लिए इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि क्रमशः रुपये 36,99,660.00 (रुपये छत्तीस लाख नियानब्बे हजार छ सौ साठ) मात्र व रुपये 34,16,400.00 (रुपये चौतीस लाख सोलह हजार छार सौ) मात्र कुल धनराशि रुपये 71,16,060.00 (रुपये इकहत्तर लाख सोलह हजार साठ) मात्र का भुगतान एड-हॉक कैम्पा मद में करने का कष्ट करें।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त सदमित पत्र के बिन्दु संख्या 5(ख) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने का कष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रस्तुत करें।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 06 से लेकर 31 तक दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं एनाउन्सिड मद की धनराशि की उपरोक्तानुसार एड-हॉक कैम्पा मद में जमा कराते हुए जमा रसीद / चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय



(कुन्दन कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी

पत्रांक

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि - अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फौरस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।



(कुन्दन कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी

9

Attachment no. 3

ROAD/41672/2019	ROAD-16722019110614167211028 Oct 2020	CA: 6163724/- ,Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 7116060/- ,None : 0/- None : 0/- None : 0/- None : 0/- Total : 13279784/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 01 Dec 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02 Dec 2020 Transaction Date : 21 Jan 2021	Demand Letter Generated Challan
-----------------	---------------------------------------	--	--------	---	------------------------------------


Assistant Engineer
PMGSY Champawat


अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

10

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-12-2020

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6141672110
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/16/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.) CHAMPAWAT Champawat
Amount(in Rs)	13279784/-

Amount in Words :One Crore Thirty-Two Lakh Seventy-Nine Thousand Seven Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-12-2020

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6141672110
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/16/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.) CHAMPAWAT Champawat
Amount(in Rs)	13279784/-

Amount in Words :One Crore Thirty-Two Lakh Seventy-Nine Thousand Seven Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Assistant Engineer
PMGSY Champawat

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

10

(11)

(92)

Attachment-(4)

(237)

परियोजना का नाम-

प्रारूप-51

जनपद चम्पाकत में पीएमजीएसवाई फेज-8 के अन्तर्गत
टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई
16.000 कि०मी०

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा
एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन
विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निचर खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पाकत

ह०/-
प्रत्येक एजेन्सी
अधिसूची अभियन्ता
निचर खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पाकत

(10)

440

प्रारूप-24

परियोजना का नाम:-

जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत
टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई
16.000 कि0मी0

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है
व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही
पातन किया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
अभिियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड (लोहाघाट-चम्पावत)

ह0/
प्रमाणित करने वाला अधिकारी
हिन्दानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0)
चम्पावत

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी लोहाघाट
पत्रांक 514 / 12-1 दिनांक 02/03/2021

सेवा में .

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।

द्वारा उपप्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

विषय-जनपद चम्पावत के टकनागूठ के डाडांगल्ला मोटर मार्ग प्रस्ताव संख
41672/2019 से नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- आपका पत्रांक संख्या 1179/12-1 /दिनांक 28.10.2020

महोदय,

विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है उक्त प्रकरण में प्रस्तावक विभाग सिच
/पीएमजी/एस/वाई के प्रतिनिधियों के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोप
हेतु दुंगराबाकू कक्ष संख्या 21 के 18.280 है० अवनत वन भूमि में से 5.00 है० अवनत व
भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर वृक्षों की गणना की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार से
में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रजाति	दुंगराबाकू कक्ष सं० 21 व्यासवार विवरण								योग	
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80 से ऊपर	
चीड़	—	8	4	6	12	8	2	14	12	66
बोंज	—	—	6	2	3	4	1	4	3	33
बुरांश	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3
									योग	92

भवदीय


वन क्षेत्राधिकारी
लोहाघाट

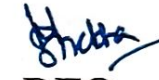
Certificate (Regarding Point no. 8 of principle Sanction)

It is certified that 18.20 hectare degraded land of Dungrabanku kaksh no. 21 is suitably choosen as the CA land for the construction of Taknagunth to Dandamalla motor road, which is to be constructed by Irrigation Department(PWD), Champawat.

In the choosen CA land 1000 trees per hectare can be accommodated.


RO
Lohaghat


SDO
Lohaghat


DFO
Champawat
उपभोगीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

Attachment no.8

परियोजना का नाम:-

जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 15, 16-1-2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण !

क्र सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजा ति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	योग
1	आरक्षित भूमि	देवता ब्लाक कोसं0 910, 11	काफल	Myrica sapida	7	2	6	4	2	-	-	-	21
			कैल	Perseaodorals sime	5	5	6	3	1	1			21
			महुआ	Madhuca indica	18	7	6	4	2	2	1		40
			साल	Shorearobusta	68	41	55	38	23	6	4	2	237
			साज	terminalia tomentosa	3	4	5	-	2	3	1	-	18
			चूरा	Diploklema vutyreaca	7	5	4	5	4	2	1	-	28
			जामुन	Syzygium cuminii	17	10	11	9	4	1	1	-	53
			झींगन	Lanner coromandelica	11	8	7	3	2	2	1	1	35
			हरड	Teminalia shepula	6	4	2	-	-	1	-	-	13
			चीड	Pinusroxburghii	10	4	3	3	3	2	1	-	26
			पदम	Prunus cerasoides	1	7	13	11	4	-	-	-	36
			कोका ट		111	52	58	25	21	7	1	-	275
		कुल योग			264	149	176	105	68	27	11	2	803

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

बॉज +	24
कुल	827

वन अधीक्षकारी
हॉट हॉट-वेब
सजि अधिकारी
हल्दानी वन प्रभाग, हल्दानी

प्रभारी वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
हल्दानी वन प्रभाग, हल्दानी

हॉट हॉट-वेब
तहसील वन विभाग
जिला

हॉट हॉट-वेब
जिलाधिकारी

हॉट हॉट-वेब

सहायक अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0
लम्बाई खण्ड, लोहाघाट

हॉट हॉट-वेब
पी0एम0जी0एस0वाई0
लम्बाई खण्ड, लोहाघाट

तहसीलवार
तहसील पूर्णचिन्नी (टनकपुर)
जनपद-चम्पावत

हॉट हॉट-वेब
प्रभारी वन अधिकारी
शारदा कुप प्रभाग, हल्दानी

(वन-विभाग का प्रतिनिधि)

उपजिलाधिकारी
पूर्णचिन्नी (टनकपुर)

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-3 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-1 0	10-2 0	20-3 0	30-4 0	40-5 0	50-6 0	60-7 0	70-8 0	योग
1.	आरक्षित वन भूमि	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.	सिविल सोयम	---	बाँज	Quercus leucotrichophora	8	4	6	3	1	2	---	---	24
3.	वन पंचायत	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4.	संरक्षित वन	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	योग :- वन भूमि	---	बाँज	Quercus leucotrichophora	8	4	6	3	1	2	---	---	24

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/-वन संरक्षक,

वन क्षेत्राधिकारी
डाडा वन क्षेत्र
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभाग हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रारूप-

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 16.000 कि0मी0 के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि को वहन किए जाने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वहन की जाएगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0, चम्पावत


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0, चम्पावत


अधिकांशी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0, चम्पावत

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16000 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
सी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण -पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 2.940 हे0 सिविल सोयम भूमि 4.200 हे0, वन पंचायत भूमि 0 हे0) अर्थात् कुल 09.14 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्री पूर्णागिरी) की दिनांक 23-01-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जसवंत सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री जयवंत सिंह राठौर, उपजिलाधिकारी श्री पूर्णागिरी - अध्यक्ष
- 2- श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा -- सदस्य
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत - सदस्य/सचिव
- 4- श्री अनीश्वर बी0डी0सी0 क्षेत्र क 4-15 - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

“ जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 09.14 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग (कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई लोहाघाट) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा रैल् द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पाटी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 09.14 हे0 वन भूमि का सीमा सड़क संगठन, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील श्री पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील.....
जनपद.....

25
तहसील
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील.....
जनपद.....


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील.....
जनपद.....

अनिराम (क्षेत्र प्रशासक)
तहसील.....


उप प्रशासक वन अधिकारी
क्षेत्र प्रभाग हल्द्वानी

[illegible]

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-1 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0

आज दिनांक 15-1-2015 एवं 16-1-2015 को उपरोक्त परियोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वनविभाग की ओर से श्री बसन्त बल्लभ जोशी, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री भुवन चन्द्र पन्त, उपराजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री एम0 के0 ओली/श्री देवेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त परियोजन हेतु आरक्षित वनभूमि 2.940 हे0, सिविल एवं सोयम भूमि 4.200 हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 एवं नाप भूमि 5.220 हे0 प्रभावित हो रही है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण ग्राम ककनई कठौत, डाडा मल्ला से गुजरेगा/में स्थित है। इन स्थलों की वर्तमान वन आच्छादन 0.40 है एवं इन स्थलों में विभिन्न प्रजाति के वन हैं। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान $79^{\circ} 57' 06.94''$ E $29^{\circ} 12' 2.92''$ N है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम डाडा मल्ला है जिसका GPS मान $79^{\circ} 56' 15.87''$ E $29^{\circ} 10' 17.93''$ N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान $79^{\circ} 57' 15.32''$ E $29^{\circ} 11' 07.86''$ N, हैं।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु आरक्षित भूमि, सिविल भूमि, ग्रामवासियों की नाप भूमि प्रस्तावित की गयी है जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान $79^{\circ} 57' 06.94''$ E $29^{\circ} 12' 2.92''$ N, $79^{\circ} 57' 01.36''$ E $29^{\circ} 11' 31.89''$ N, $79^{\circ} 56' 31.83''$ E $29^{\circ} 11' 18.48''$ N, $79^{\circ} 55' 55.83''$ E $29^{\circ} 10' 22.60''$ N, हैं।

अन्य आवश्यक विवरण :- उपरोक्तानुसार इस मार्ग में पड़ने वाले 7.140 हे0 मोटर मार्ग हेतु एवं 2.000 हे0 मलुवा निस्तारण हेतु कुल 9.140 हे0 वनभूमि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है। वनभूमि प्राप्त होने के पश्चात इस मार्ग का निर्माण कार्य कराया जायेगा। यह मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है तथा इस मार्ग के बनने से इस क्षेत्र की जनता का तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय चम्पावत हो जायेगा।

नोट- इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता/सुजेन्सी)
प्रतिनिधि
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई
विभाग, लोहाघाट(चम्पावत)

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

तहसीलदार
तहसील पूर्णगिरि (टनकपुर)
जनपद-चम्पावत

जयजिलाधिकारी
पूर्णगिरि (टनकपुर)

ग्राम पंचायत
विभाग, लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
डाडा वन क्षेत्र
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वन अधिकारी
प्रारदा वन प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(22) (4)

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत

4487 दिनांक 28.2.15

Attachment no. 10

1.6

Name of Road - Construction of Taknagunth to Dada Malla M/R Under PMGSY

Annexure-I

FROM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No. 1982

Date 28.2.15

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 09.14 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **PMGSY Lohaghat** (Champawat) (name of user agency) for **Construction of Taknagunth to Dada Malla M/R Under PMGSY** (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Kaknai, Danda Malla village(s) in Siri Poornagiri Tehsils. It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 09.14 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure (a) to (e)
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Name of Road - Construction of ~~Taknagunth~~ to Dada Malla M/R Under PMGSY

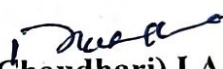
Annexure-23(A)

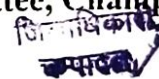
Office of the Districts Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of shri Dependra Kumar Chaudhari (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On ~~28-02-2015~~ at ~~12:00 PM~~ Champawat in which the application claiming rights in Kaknai, Danda Malla Village in Tashil Siri Poornagiri Area measuring ~~09.14~~ hec for the construction of ~~Taknagunth~~ to Dada Malla M/R Under PMGSY Champawat of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Siri Poornagiri tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case diversion to the land for the said purpose.


(D.K. Chaudhari) I.A.S)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat.



प्रारूप-14

परियोजना का नाम:-

जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत
टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई
16.000 कि0मी0

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। मोटर मार्ग हेतु आवेदित 7.14 एवं मलुवा निस्तारण हेतु 2.000 हे0 कुल 9.14 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह0/-
प्रयोक्ता एलेनपी
आधुनिक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
जनपद लोहाघाट(चम्पावत)

ह0/
प्रभारी वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी,

1. नमस्ते
जिलाधिकारी
हल्द्वानी

उपजिलाधिकारी
पूर्णागिरि (टनकपुर)

तहसीलदार
पूर्णागिरि (टनकपुर)
चम्पावत

हल्द्वानी वन प्रभाग
चम्पावत
जिला - चम्पावत

हल्द्वानी वन प्रभाग
चम्पावत
जिला - चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
डांडा वन क्षेत्र
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(25) (28)

234

Attachment no. 11

प्रारूप-39

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई फेज-8 के अन्तर्गत टकनागूँठ से डाडा मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 16.000 कि0मी0

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिरासी अभियन्ता

पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0

सिंचाई खण्ड, लोहाघाट(चम्पावत)

अधिरासी अभियन्ता

सिंचाई खण्ड (लोहाघाट)

चम्पावत

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-08-2023

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6141672661
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/16/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.) CHAMPAWAT Champawat
Amount(In Rs)	34308/-

Amount In Words :Thirty-Four Thousand Three Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896141672661 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-08-2023

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6141672661
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/16/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.) CHAMPAWAT Champawat
Amount(In Rs)	34308/-

Amount In Words :Thirty-Four Thousand Three Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896141672661 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Assistant Engineer
PMGSY Champawat

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

Attachment no. 12

सरकार
रण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
त क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
सुभाष रोड, देहरादून-248001
फ़ोन: 0135-2650809
फ़ैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१६/२०२०/एफ०सी०/१६७५

दिनांक: 28/10/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चम्पावत में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत टकनागूठ से डांडा मल्ला (लम्बाई 16.00 किमी०) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.140 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 220/X-3-20/1 (32) 2020 दिनांक 14.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal FP/UK/ROAD/41672/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 23, अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद - चम्पावत में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत टकनागूठ से डांडा मल्ला (लम्बाई 16.00 किमी०) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.140 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.28 हे० अवनत वन भूमि डुंगराबाकू क०सं० 21 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.140 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 555 trees and 272 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

- State Government may submit the details of trees (including number, species, girth etc) present in 5 ha CA area that appears to be falling in VDF. If the area not found suitable then another 5 ha area may be selected and details of the area may be submitted to this office.
- 8- It is seen that 12 ha area of CA is in MDF. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08.11.2017 may be submitted.
- 9- State Government may upload the NPV calculation sheet.
- 10 Details of 842 trees including 15 of NFL uploaded. State Government may upload fill the details of trees falling in forest area only.
- 11 The State Government may review the area selected for muck disposal in forest land and select non-forest forest land or less dense area for this purpose.
- 12 The State Government may submit the list of trees falling in muck disposal area and ensure that no tree felling will be done in this area.
- 13 State Government is required to submit the eco-restoration/ rehabilitation plan for muck dumping area.
- 14 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
- 15 प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
- 16 गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
- 17 एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 18 संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
- 19 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
- 20 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
- 21 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 22 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
- 23 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
- 24 परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
- 25 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। 560
- 26 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
- 27 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
- 28 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 29 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

- 30 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 31 अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,


 (टी० सी० नौटियाल)
 उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।


 (टी० सी० नौटियाल)
 उप महानिरीक्षक, वन (के०)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Integrated Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

File No.: Ro-DDN/REC/1-2014/VOL-6/333

Dated: 09/06/2023

To,

1. The Addl. Chief Secretary (Rev.),
Govt. of Uttarakhand, Dehradun

2. The APCCF-cum-Nodal Officer,
Forest Conservation,
Govt. of Uttarakhand,
Indira Nagar Forest Colony,
Dehradun.

Sub: Minutes of 78th meeting of the Regional Empowered Committee (REC) of the Integrated Regional Office, Dehradun, MoEF & CC, Government of India- reg.

Sir,

With reference to the subject cited above, this is to inform you that the Minutes of REC meeting held on 30th May, 2023 has been confirmed by the members of REC and enclosed herewith for circulation. The Nodal Office is requested to take action on the decisions taken in the REC meeting (Project wise) & ensure submission of compliance to this office for further necessary action.

This is for your information and further necessary action please.

Encl: As above.

Yours faithfully,

Gajendra Prakash Narwane
(Gajendra Prakash Narwane)
AIGF-cum-Member Secretary, REC

Distribution:

1. Dr. R. S. Bisht, Retd. IFS (Member, REC), Green Street, Uttaranchal colony, Gas Godam Road, Kusum Kheda, Haldwani-263 139 (Uttarakhand)
2. Dr. S. D. Bhardwaj, (Member, REC), 33-Sai Niwas, Scientist Colony, Post Office Shanti, Tehsil & Distt. Solan- 173 212 (Himachal Pradesh). Email: shrwander@yahoo.co.in

Gajendra Prakash Narwane
(Gajendra Prakash Narwane)
AIGF-cum-Member Secretary, REC

**MINUTES OF 78th MEETING OF THE REGIONAL EMPOWERED COMMITTEE OF
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
HELD ON 30 MAY, 2023**

The 78th meeting of the Regional Empowered Committee (REC) of the Integrated Regional Office, Dehradun was held on 30th May, 2023 under the Chairmanship of Shri. Pankaj Agrawal, IFS, Addl. PCCF, Integrated Regional Office, Dehradun to discuss the FCA proposals pertaining to the State of Uttarakhand.

Following official/non-official members & the special invitees were present in the meeting either in person or through video conferencing.

S.No.	Name	Designation
1.	Shri Pankaj Agrawal, IFS, Addl. PCCF, Integrated Regional Office, Dehradun.	Chairman
2.	Dr. R. S. Bisht, Retd. IFS	Non-official Member (Through Video Conferencing)
3.	Prof. S. D. Bhardwaj	Non-official Member (Through Video Conferencing)
4.	Shri. Gajendra Prakash Narwane, IFS, AIGF, Integrated Regional Office, Dehradun.	Member Secretary
5.	Shri. S. S. Rasaily, IFS, APCCF-cum- Nodal Officer (UK)	Special Invitee (Through Video Conferencing)
6.	Representatives of the User Agencies and State Forest Department	

At the outset, the Chairman of the Committee welcomed all the members present in the meeting or connected through Video-Conference.

Following proposal pertaining to the state of Uttarakhand were discussed in detail and the case wise decision taken by REC is as under:

Online No.: FP/UK/Road/151113/2022

Agenda item 78. 1 (U. K.)

8B/UCP/06/73/2022/FC:

Diversion of 22.112 ha of forest land for upgradation of existing road to 2 lane configuration of Rameswar-Gangolighat Berinag Chaukori Kanda Bageswar Takula Almora section of NH-309A from km 133.00 to km170.00(Length 37.00KM) in favour of PWD Ranikhet, within the jurisdiction of Bageshwar Forest Division, District Bageshwar, Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/Road/151113/2022)

The details of the proposal are as under:

1. The proposal has been signed and recommended by the all concerned authorities in the part I, II, III, IV & V. In part II, III, IV and V of the proposal, **no specific** comments have been recorded by the concerned authorities.
2. As per site inspection report of the concerned DCF having territorial jurisdiction on proposed forest land violation of Forest (Conservation) Act, 1980 is **not reported**.

- monument.
- Rare/endangered/unique species of flora and fauna is not found in the area.
 - The justification for the requirement of forest land and for locating the project in forest area has been provided .
 - The detail of forest area and number of trees, NPV and compensatory afforestation is as under:

Area and Trees Details

Sl. No	Administrative Unit	Area proposed for diversion				Details of tree proposed for felling	
	Forest Division/ District	Civil Soyam land (ha.)	Village Forest area (ha.)	Reserve Forest area (ha.)	Total Area (ha.)	Crown density/ EcoClass of forest land	No. of plants required to be felled (As per Part-II)
1.	Haldwani Forest Division	5.2	-	3.94	9.14	0.4-0.72, V	827 trees including 227 saplings are proposed to be affected (submitted at pg. 342-343)
Total:		5.2	-	3.94	9.14		

Net Present Value

Sl. No.	Name of Forest Division	ForestArea (in ha.)	NPV Rate (in Rs per ha)	Crown Density	Eco-Class	Total (Rs.)
1.	Haldwani Forest Division	RF land- 3.94 ha	9.39 lakh	0.72	V	36,99,660
		Civil Soyam Land -5.20 ha	6.57 lakh	0.4	V	34,16,400
Total:-						71,16,060/-
Rupees Seventy one lakh sixteen thousand sixty only						

Penal Net Present Value

Sl. No.	Name of Forest Division	Area (in ha.)	NPV Rate (in Rs per ha)	Eco-Class	Total (Rs.)
1.	Haldwani Forest Division (pg. no. 370)	0.0541 (Deviated area)	14,36,670/-	V	$1436670 \times 0.0541 \times 2 = 1,55,447.69$ $1,55,447.69 \times 20\% = 31,090/-$
Rupees Thirty-one thousand ninety only					

Compensatory Afforestation

Sl. No.	Details of CA	Area proposed for CA (in ha)	Name of Forest Division	Total Financial Outlay for CA Scheme (Rs.)
1.	Dungarbaku Forest Block, Lohaghat Range, Comptt. No. 21	10	Champawat Forest Division	61,63,724/-
Total:		18.28		61,63,724/-
(Rupees Sixty one Lakhs Sixty three thousand seven hundred twenty four only.)				

8. The certificate of District Magistrate w.r.t Forest Right Act, 2006 is provided in the proposal.
9. As per GIS-DSS analysis the area proposed for diversion is 9.14 ha and the net suitable area for CA is 18.28 ha.
10. The details of employment generation through the proposal – Regular-0 Temporary-35000 man days.
11. The cost benefit analysis is required.
12. In-principle approval has already been accorded in the proposal vide letter dt. 28/10/2020 after discussing the proposal in the REC meeting dt. 23/10/2020. But since the violation of the condition No. 16 and 20 of the in-principle approval has been reported, necessary action as per guideline para 1.21 (iii) was sought.
13. Later, the case was discussed in the in the REC meeting held on 29-06-2022 and proposal was sent to the ministry for further necessary action/ direction. The REC had decided to withdraw the revocation of stage I approval subject to certain conditions which involved imposition of penal NPV; correction of the KML file; legal action as per IFA 1927; disciplinary action was required to be taken against the concerned authority and issuance of advisory by the HoFF to ensure that no work be carried out before issuance of Stage I permission and proper working order.

Vide letter dated 4.8.2022 the compliance on the conditions imposed by the REC was attended by the State Govt satisfactorily. Regarding point 5 of action under the provision of IFA 1927, CCF (Kumaon) elaborated the action taken report which seems satisfactory. Regarding advisory to be issued by the HoFF, State Govt has stated that the advisory has been issued vide letter 2.4.2023 to ensure the compliance of all norms and guidelines under the provisions of FCA 1980.

14. The last observation made by this office vide EDS letter dt. 05.12.2022 and reply submitted by the State Government vide letter dt. 15.05.2023 is as under:

Query raised by this office:

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरांत समरेखण में परिवर्तन एवं और पेड़ों का कटान बिना working order के करने के बाबत violation पाया गया था, जिसके बाबत इस कार्यालय के समसंख्यक ई.डी.एस. दिनांक 24.06.2022 द्वारा राज्य सरकार से बिना अनुमति के change of alignment करने एवं प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त सं 16 एवं 20 के उल्लंघन हेतु कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था तथा प्रस्ताव पर आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 29.06.2022 में चर्चा उपरान्त अग्रिम निर्णय हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली को भेजा गया था। साथ ही राज्य सरकार को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.09.2022 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही के संबंध में एवं गाईडलाइन पैरा 11.2 of handbook के अनुसार linear प्रस्तावों में सैद्धान्तिक

स्वीकृति के बाद वृक्षों को काटने और कार्य आरम्भ करने के लिये कार्य आदेश जारी करने को सुनिश्चित करने के लिये PCCF (HoFF) द्वारा जारी की गई advisory का सम्पूर्ण विवरण इस कार्यालय में प्रेषित करें।

प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा प्रस्ताव को इस आशय के साथ वापस किया गया है कि अमुख प्रस्ताव को पुनः आर.ई.सी. में वर्गों के उपरान्त आर.ई.सी. अपनी स्पष्ट recommendation के साथ प्रस्ताव को प्रस्तुत करें। अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.06.2022, 06.09.2022 एवं आर.ई.सी. के मिन्ट्स दिनांक 29.06.2022 में उल्लेखित बिन्दुओं की जानकारी एवं यथानुसार उचित कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि प्रस्ताव को पुनः नई दिल्ली अग्रिम अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

Reply submitted by the State Government:

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी। उक्त के अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 1954/12-1 दिनांक 28-06-2022 द्वारा सूचना / आख्या एवं प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक ख- 882/ 12-1 दिनांक 21-04-2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त वृक्षों के पातन एवं कार्य आरम्भ करने से सम्बन्धित जारी advisory की प्रति प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की गई रही है।

अतः मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार करने का कष्ट करें।

15. It was decided to discuss the proposal before the REC.

Discussion:-

The proposal was discussed in detail with the concerned DFO and the representatives of the Project Proponent. The committee was informed that the case has already been discussed in the REC meeting held on 29-06-2022 in which the REC decided to withdraw the revocation of Stage I approval, subject to submission of certain documents/clarifications regarding i) calculation of NPV; ii) correction of KML file; iii) Legal action as per IFA 1927; iv) disciplinary action against the concerned and v) issuance of advisory by the HoFF to ensure that no work be carried out before issuance of Stage I approval and proper working order by the competent authority.

The proposal was sent to the Ministry for further necessary action/direction. The proposal was returned by the Ministry with a direction to get the proposal deliberated by the REC in the light of replies submitted by the State Govt and submit clear recommendation on the proposal and the details of action taken for the violation of the act. The committee was apprised that the guidelines have been subsequently modified by the MoEFCC and in view of guideline dated 16.01.2023, the cases in which violation are reported after Stage I approval need not to be forwarded to the Ministry for decision.

The point wise discussion was made on the reply submitted by the State Govt and it was found to be satisfactory. The requisite action has already been taken under the provisions of IFA 1927 by the

State Govt and a detailed action taken report has been submitted by the CCF (Kumaon) in this regard to the committee. The advisory has also been issued by the HoFF vide letter dated 21.04.2023. The action taken by the State Govt under the provision of IFA 1927 was found to be satisfactory. On the issue of penalizing project proponent for uprooting trees in the violated area, the committee members were of the opinion that action should be taken against the User Agency as well as the Forest Corporation for damaging and uprooting 37 trees.

It was also taken into consideration that the details of Penal NPV as per the guidelines para 1.21 (iii) on the deviated area (0.0056 ha) and on the area over which work has been already carried out (upto 8.615 Km) without the issuance of the working permission by the competent authority has been provided by the State Govt. Since the construction of the road has been already delayed due to delay in action, it was requested by the State Government that it may be allowed to issue a working order till the revised conditions are fulfilled and duly approved.

Decision of REC:

After detailed discussion on various aspects of the proposal, and taking into consideration the following compliances:

1. Penal NPV on the deviated area (0.0056 ha) and the area in which work was done without issuing working order from the level of DFO (area upto 8.615 Km) was imposed. The calculation of the Penal NPV has been provided.
2. With respect to the disciplinary action that should be taken against the responsible staff for their negligence and dereliction of duty. The details of the show cause notices issued by the disciplinary authority have been provided. Compliance has been made.
3. Compliance has been made to the observation of the REC that the HoFF may issue necessary Advisory to all the concerned officers to ensure the issuance of the working order for tree cutting and commencement of work after the grant of Stage I approval. Necessary advisory has been issued by the HoFF, Uttarakhand State.

The REC decided that the Stage-I withdrawal may be revoked as per the request of State Government to that the concerned authority may issue the working order. However, the State Government is required to submit compliance / clarification/ document/ information on following points:

1. Though partial compliance for damage and uprooting of 37 trees has been made by charging fine on the Forest Corporation for Rs. 858794/-, necessary action shall be taken against the Forest Corporation and the User Agency for damage and uprooting of 37 trees under the provisions of IFA, 1927.

(सलग-3)

न बावत् टकनागूठ-डाण्डा मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु Muck Disposal हेतु प्रस्तावित 01 है० सिविल भूमि में वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा/वृक्षारोपण कार्य।

GPS N- 29° 11' 23.90" E 790 56' 49.32"

N- 29° 10' 19.5" E 790 56' 3.90"

1100 पौध प्रति हैक्टेयर।

क्षेत्रफल- 1.00 हैक्टेयर

रेंज-डाण्डा

प्रभाग- हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

अग्रिम मृदा कार्य- वर्ष-2023-24

वृक्षारोपण कार्य- वर्ष-2024-25

क्र. सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	ईकाई	घनराशि		कुल व्यय
					वर्ष 2023-24 (अग्रिम मृदा कार्य)	वर्ष 2024-25 (वृक्षारोपण कार्य)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	1.000	115.00	है०	115.00	-	115.00
2	क्षेत्र की सफाई एवं झाड़ी काटने का कार्य	1.000	10272.00	है०	10272.00	-	10272.00
3	गड़ड़ों का समरेखन चूने की कीमत सहित।	1.000	320.00	है०	320.00	-	320.00
4	गढ़ड़ा खुदान कार्य (0.45×0.45×0.45)	1.000	14098.000	गढ़ड़ा	14098.00	-	14098.00
5	गढ़ड़ा भरान कार्य (0.45×0.45×0.45)	1.000	1717.00	गढ़ड़ा	-	1717.00	1717.00
6	तार बाढ़।	-	-	-	-	-	0.00
	तार की कीमत	1.000	8217.00	है०	8217.00	-	8217.00
	पारिश्रमिक लगाने का	1.000	1593.00	है०	1593.00	-	1593.00
7	आर० सी० सी० पोलो बनाना (0.10+0.08/2×0.10+0.08/2×2) 33 Pol/100 रनिंग मी० की दर से।	1.000	14573.00	है०	14573.00	-	14573.00
	आर० सी० सी० खम्भों का दुलान स्थापना।	1.000	2984.00	है०	2984.00	-	2984.00
8	पौधों का मूल्य (एक वर्ष की आयु का मूल्य)।	1.000	7958.00	है०	7958.00	-	7958.00
9	पौध का मूल्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	1.000	3330.00	है०	-	3330.00	3330.00
10	पौध दुलान नर्सरी से मौके तक 5 कि०मी० तक।	1.000	5104.00	है०	-	5104.00	5104.00
	अतिरिक्त दुलान 5 कि०मी० से अधिक।	1.000	123.00	है०	-	123.00	123.00
11	पौध का रोपण स्थानीय दुलान।	1.000	3917.00	है०	-	3917.00	3917.00
12	पौध की निराई गुड़ाई कार्य।	-	-	-	-	-	0.00
	प्रथम-	1.000	3080.00	है०	-	3080.00	3080.00
	द्वितीय-	1.000	2310.00	है०	-	2310.00	2310.00
	तृतीय-	1.000	1444.00	है०	-	1444.00	1444.00
13	वृक्षारोपण उपरान्त झाड़ी कटान/क्षेत्र की सफाई।	1.000	2191.00	है०	-	2191.00	2191.00
14	वन मोटर मार्ग से वृक्षारोपण क्षेत्र के पहुँच मार्ग तक निरीक्षण बटिया बनाना/मार्ग का रख-रखाव।	1.000	639.00	है०	-	639.00	639.00
15	कर्मचारियों के लिये/श्रमिकों हेतु छप्पर निर्माण।	1.000	767.00	है०	-	767.00	767.00
16	पानी का प्रबन्ध।	1.000	256.00	-	-	256.00	256.00
17	संकेत पट बनाना।	1.000	89.00	है०	-	89.00	89.00
18	तारबाड़ के बाहर आग लगाई/सफाई कार्य।	1.000	225.00	है०	-	225.00	225.00
19	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (1 माह)।	1.000	8400.00	है०	-	8400.00	8400.00
20	श्रमिकों के लिए दवा आदि।	1.000	61.00	है०	-	61.00	61.00
21	अन्य आकस्मिक व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव प्रचार-प्रसार, स्टेशनरी आदि।	1.000	2282.00 (ASW) 2283.00 (Plantation)	है०	2282.00	2283.00	4565.00
22	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य।	1.000	10000.00	है०	10000.00	-	10000.00
योग:-					72412.00	35936.00	108348.00

अग्रिम मृदा कार्य हेतु घनराशि 72412.00

वनीकरण/वृक्षारोपण के कार्य हेतु 35936.00

घनराशि।

कुल योग 108348.00

(अमिता चन्द)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

शारदा उप वन प्रभाग, टकनागूर।

(सुनील शर्मा)

वन क्षेत्राधिकारी

डाण्डा रेंज, दुर्गापीपल।

(गिरीश चन्द्र नौटियाल)

वन दसगा

डाण्डा अनुभाग।